नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय समिति की दिनांक 11.02.2016 की बैठक की कार्यवाही

दिनांक 11.02.2016 को डॉ0 नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में नेतरहाट विद्यालय समिति की सामान्य निकाय समिति की बैठक हुई, जिसमें संलग्न अनुलग्नक–1 के अनुरूप उपस्थिति रही।

प्राचार्य–सह–सचिव द्वारा बैठक में निम्नवत् कार्यसूची उपस्थापित की गयी :–

1. **विगत बैठक दिनांक 20.05.2015 की कार्यवाही की संपुष्टि तथा लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा :–**

प्राचार्य–सह–सचिव द्वारा उपस्थापित तत्संबंधी कार्यवाही एवं अनुपालन प्रतिवेदन संतोषप्रद नहीं होने के कारण, उस पर आगामी बैठक में विचार करने का निर्णय लिया गया।

2. **स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 05 दिनांक 06.01.2016 द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय के स्तरोन्नयन हेतु की गयी अनुशंसाओं का कार्यान्वयन :–**

राज्य सरकार ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु 23 अनुशंसायें की हैं। इन अनुशंसाओं को कार्यान्वित करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। कार्यकारिणी के सदस्यों सहित सामान्य निकाय समिति के सदस्यों द्वारा निम्न पहलुओं की जानकारी दी गयी :–

(i) कार्यकारिणी समिति अथवा सामान्य निकाय समिति द्वारा शैक्षिक माहौल को उठाने हेतु त्वरित कार्रवाई किये जाने की आवश्यकता है।

(ii) कार्यकारिणी समिति द्वारा लिये गये निर्णय को पारदर्शी रूप से सभी सदस्यों एवं संबंधितों (विभाग सहित) के समक्ष ससमय लाना आवश्यक है।

(iii) कार्यकारिणी समिति को शैक्षणिक कार्यों पर जोर देने की आवश्यकता है। कार्यकारिणी समिति या विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण के निर्माण कार्य में सम्मिलित रहने के कारण विद्यालय के पठन–पाठन पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। कार्यकारिणी समिति अथवा विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकगण को शैक्षणिक कार्यों हेतु ही सीमित रखना विद्यालय हित में है।

(iv) नेतरहाट आवासीय विद्यालय नियमावली के अनुरूप शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक उप समितियों का गठन करना ही विद्यालय हित में है। इन समितियों का गठन नहीं किये जाने से विद्यालय के शैक्षणिक माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तथा शैक्षणिक के साथ-साथ अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उप समितियों का गठन अविलम्ब कर, उप समितियों के माध्यम से कार्यों का निष्पादन किया जाय।

(v) विद्यालय के संदर्भ में नीतिगत् निर्णय सामान्य निकाय समिति के अनुमोदन से ही लिया जाना उचित होगा। कार्यकारिणी समिति को नीतिगत् निर्णय लेने का अधिकार प्रदत्त नहीं है।

(vi) नामांकन परीक्षा में आयी गिरावट पर रोक लगाने हेतु नियमावली का गठन आवश्यक है। कार्यकारिणी समिति द्वारा इस संदर्भ में बनायी गयी नियमावली को विभाग के माध्यम से समीक्षा कर सामान्य निकाय समिति के समक्ष उपस्थापित करने का मंतव्य सामान्य निकाय समिति के सदस्यों द्वारा दिया गया।

(vii) सभी सदस्यों ने सुझाव दिया कि विद्यालय के शैक्षणिक माहौल को कायम करने हेतु विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षक एवं कर्मी को भयमुक्त वातावरण में कार्य करना आवश्यक है। इस हेतु कार्यकारिणी समिति नये स्तर से सेवा शर्त्त का गठन कर विभाग के माध्यम से सामान्य निकाय समिति के समक्ष उपस्थापित करे। सदस्यों द्वारा यह भी आम राय दी गयी कि जब तक नयी सेवा शर्त्त नियमावली का गठन नहीं हो जाता, तब तक नेतरहाट विद्यालय में प्राचार्य, शिक्षक अथवा कर्मी की नियुक्ति पर यथास्थिति बनायी रखी जाय।

(viii) नेतरहाट आवासीय विद्यालय में ई-शिक्षा/ ई-लर्निंग के तहत् स्मार्ट क्लासेज (Smart Classes) एवं ई-लाईब्रेरी की सुविधा (e-library facility) यथा शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए ताकि यहाँ के छात्रों का सम्पर्क बड़े शहरों में अवस्थित विशेषज्ञ शिक्षकों से संभव हो सके। विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा इस विद्यालय को कम्प्यूटरीकृत किये जाने संबंधी कार्य को गति प्रदान करने तथा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा प्रखण्ड संसाधन केन्द्र अथवा संकुल संसाधन केन्द्र को कम्प्यूटरीकृत किये जाने संबंधी योजना का अनुसरण नेतरहाट विद्यालय में करने हेतु विचार रखा गया है।

समिति का निर्णय :- समिति ने सर्वसम्मति से कंडिका-2 की उप कंडिका- (*i*) से (*viii*) तक सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया तथा प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव तत्संबंधी अग्रेतर कार्रवाई अविलम्ब सुनिश्चित करेंगे।

3. **नेतरहाट विद्यालय समिति की योजना मद में स्वीकृत कुल राशि रुपया 25.00 करोड़ का विमुक्तिकरण** :-

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट को वित्तीय वर्ष 2011-12 में कुल राशि रुपया 25.00 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2014-15 में रुपया 05.00 करोड़ यानी कुल राशि रुपया 30.00 करोड़ उपलब्ध करायी जा चुकी है। इस उपलब्ध करायी गयी राशि में से अभी भी लगभग रुपया 17.00 करोड़ का व्यय नहीं हो पाया है। विभाग द्वारा राशि प्रतिवर्ष प्रावधानित की जाती है, परन्तु ससमय नियमानुकूल राशि का व्यय नहीं होने के कारण इस प्रावधानित राशि को सक्षम प्राधिकार के माध्यम से प्रत्यार्पित करते हुए अन्य अत्यावश्यक कार्य में उपयोग कर लिया जाता है। इस प्रकार अगर राशि प्रावधानित कर पूर्व की राशि का व्यय नहीं होने के कारण प्रत्यार्पित करते हुए अन्य मद में उपयोग किया जाता है, तो उसका बैकलॉग के रूप में गणना करना नियमसंगत नहीं है। अतः समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि उपलब्ध करायी गयी राशि का ससमय नियमानुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय तथा आवश्यकता आधारित राशि की ही नियमों के आलोक में मांग की जाय।

4. **अन्यान्य** :- राज्य सरकार द्वारा नेतरहाट आवासीय विद्यालय की गरिमा को अक्षुण्ण बनाये रखने हेतु की गयी अन्य अनुशंसाओं के कार्यान्वयन का प्रस्ताव नियमानुसार सामान्य निकाय समिति की आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। साथ ही अन्य उपस्थापित एजेण्डों पर भी समयाभाव में विचार नहीं हो पाया। निर्णय लिया गया कि इन एजेण्डों को भी आगामी बैठक में रखा जायेगा।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गयी।

(हस्ताक्षर) 01.3.2016	(हस्ताक्षर) 1.3.2016
प्राचार्य-सह-सदस्य सचिव, नेतरहाट विद्यालय सामान्य निकाय समिति	मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग-सह-अध्यक्ष, नेतरहाट विद्यालय सामान्य निकाय समिति

नेतरहाट विद्यालय समिति
सामान्य निकाय की बैठक की उपस्थिति

दिनांक–11.02.2016

क्र०	नाम	सामान्य निकाय में धारित पदनाम	हस्ताक्षर
1.	डा. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।	अध्यक्ष	[signature] 11.2.2016
2.	विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची।	उपाध्यक्ष	—
3.	श्रीमती आराधना पटनायक, भा०प्र०से०, सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची।	सदस्य	[signature] 11.2.16
4.	श्री के० के० खंडेलवाल। प्रमंडलीय आयुक्त, पलामू।	सदस्य	[signature]
5.	उपायुक्त, लोहरदगा।	सदस्य	—
6.	उपायुक्त, लातेहार।	सदस्य	—
7.	वित्त विभाग, के प्रतिनिधि (वित्त सचिव द्वारा मनोनीत सदस्य) श्री राजू रंजन राय।	सदस्य	[signature] 11/2/16
8.	श्री एच.के.पी. सिन्हा, (नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक)	सदस्य	[signature] 11.2.16
9.	डा० अशोक कुमार चौधरी, प्रोफेसर, वनस्पति शास्त्र, राँची विश्वविद्यालय।	सदस्य	[signature] 11.2.16
10.	श्री सुशील कुमार चौधरी, (भा०प्र०से०,से.नि.) (नेतरहाट विद्यालय के पूर्ववर्त्ती छात्र)	सदस्य	—
11.	श्री नरेन्द्र भगत (भा०प्र०से०, सेवानिवृत्त) पूर्ववर्त्ती छात्र, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, अग्रवाल नर्सिंग होम के निकट, बरियातू, राँची।	सदस्य	N Bhagat 11.2.2016
12.	श्री शीतल दास मेहता, (नेतरहाट विद्यालय के अवकाश प्राप्त शिक्षक)	सदस्य	—
13.	श्री राम नरेश सिंह, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय।	सदस्य सचिव	RNSingh 11.02.16
14.	डॉ० मनीष रंजन, निदेशक-माध्यमिक शिक्षा।	विशेष आमंत्रित	[signature] 11.2.16

15.	श्री रामाशीष राय, कार्यपालक अभियंता, भ० पु०, लोहरदगा।	विशेष आमंत्रित	[illegible] 1/12/16
16.		विशेष आमंत्रित	
17.		विशेष आमंत्रित	
18.		विशेष आमंत्रित	